

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1-75/2008/20-1

भोपाल, दिनांक 26/7/08

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत
4. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/राहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.


विषय:—अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण की नीति ।

-00-

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2008 द्वारा अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक आधार पर जिला एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि विभाग की जिला स्तरीय अध्यापक संवर्ग के लिये स्वैच्छिक आधार पर जिला/जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण की दिनांक 31.07.2008 तक अवधि बढ़ाई जावे।

अतः रिक्त पदों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण की कामवाही 31.07.2008 तक सम्पन्न की जावे। शेष निर्देश यथावत रहेंगे ।


26/7/08
(एम.के.दाण्डे)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1-75/2008/20-1

भोपाल, दिनांक 26/7/08

प्रतिज्ञिपि:—

1. विशेष सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र.
 2. सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
 3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र.भोपाल
 4. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म.प्र.
 5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र.भोपाल
 6. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन विकास विभाग, भोपाल,
 7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


26/7/08

अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग